न्यायालय–नसीम नजर, अवर न्यायाधीश, नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0–205/2023

पवित्र सरकार उर्फ पवितर सरकार एवं अन्य.....वादीगण

बनाम

इन्द्रजीत सरकार एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

DATE	ORDER	REMARKS
10.02.2025	उभय पक्षों की ओर से पैरवी है। आज अभिलेख प्रतिवादीगण की ओर दिये गये आवेदन दिनांक 12.12.2024 बयान तहरीरी को मंजूर करने हेतु तथा धारा 5 परिसीमा अधिनियम आदेश हेतु नियत है। **आदेश (ORDER)** प्रतिवादीगण की ओर से अपने आवेदन दिनांक 12.12.2024 में कहा गया है कि प्रस्तुत वाद में कुछ आवश्यक कागजातों का नकल निकालने में विलम्ब हुआ जिस कारण प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 की ओर से लिखित ब्यान तहरीरी न्यायालय में समर्पित करने में विलम्ब हुआ है। प्रतिवादीयों की ओर से प्रार्थना है की समय सीमा क्षांत करते हुए प्रतिवादीयों के द्वारा समर्पित दिनांक 19.08.2024 को समर्पित ब्यान तहरीरी को स्वीकार करने की कृपा की जाए। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि प्रतिवादीगण द्वारा दाखिल बयान तहरीरी को दाखिल करने में हुये विलंब को माफ कर बयान तहरीरी स्वीकार करने की कृपा की जाय। वादीगण की ओर से प्रतिवादीगण के आवेदन का मौखिक विरोध किया तथा कहा कि प्रतिवादीगण को पर्याप्त समय देने के बावजूद भी समय पर बयान तहरीरी दाखिल नही किया है। अतः आवेदन खारिज किया जाय। उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना गया। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि प्रतिवादी सं0–01, 02 एवं 04 दिनांक 12.02.2024 को तथा प्रतिवादी सं0–3 दिनांक 19.08.2024 को न्यायालय में अपने विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित हुये तथा दिनांक 19.08.2024 को प्रतिवादी सं0–01 ता 04 की ओर से संयुक्त बयान तहरीरी दाखिल किया गया तथा दिनांक 12.07.2024 को प्रतिवादी संख्या–01, 02 एवं 4 को	

न्यायालय–नसीम नजर, अवर न्यायाधीश, नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0–205/2023

पवित्र सरकार उर्फ पवितर सरकार एवं अन्य.....वादीगण

बनाम

इन्द्रजीत सरकार एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

लगातार 10.02.2025	ब्यान तहरीरी दाखिल करने से वंचित किया गया। विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि किसी भी वाद का निस्तारण उभय पक्षों को सुनकर किया जाना चाहिए। जिससे वाद का निस्तारण अंतिम रूप से किया जा सके तथा वादों की बहुलता को रोका जा सके। अतः प्रतिवादी सं0–01 ता 04 को अपना पक्ष प्रस्तुत कर वाद में संघर्ष करने का अवसर देना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः न्यायहित में प्रतिवादी सं0–01 ता 04 का आवेदन दिनांक 12.12.2024 को मो0–1500/– रूपये हर्जे पर स्वीकार करते हुए प्रतिवादी सं0–01 ता 04 की ओर से दिये गये संयुक्त बयान तहरीरी को ग्रहण किया जाता है तथा आदेश दिनांक 12.07.2024 को वापस लिया जाता है। आगामी दिनांक 27.02.2025 वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत। लेखापित अवर न्यायाधीश नरकटियागंज	